GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAY/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

****

RBE No. 303 /99

No. E(P&A)I-97/CPC/LE-6 New Delhi, Dated: 8 -12-1999.

The GMs/CAO(R)s/OSDs
All Indian Rlys &Prod Units etc.
(As per mailing list).

Sub: Simplification of rules and procedures relating to Leave Rules - Chapter V of the Indian Railway Establishment Code Volume I, 1985 Edition.(Reprint Edition - 1995)

Ref: Board's letters of even number dated 10.11.97, 3.4.98, 8.4.99 and 1.10.99.

****

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Rule 551 of the Indian Railway Establishment Code, Volume-I, 1985 edition (Reprint Edition - 1995) may be amended as in the enclosed advance correction slip No.73.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Kindly acknowledge receipt.

DA: Correction slip.

(K.J. Abraham)
Joint Director Establishment(P&A),
Railway Board.

No.E(P&A)I-97/CPC/LE-6 New Delhi, Dated : 8 .12.99.

Copy forwarded to the FA&CAOs, All Indian Railways etc.

DA: Correction slip.

(K.J. Abraham)
Joint Director Establishment(P&A),
Railway Board.

No.E(P&A)I-97/CPC/LE-6 New Delhi, Dated : 8 12..99.

Copy forwarded to the Federations etc.(As per standard mailing list No.III)

for Secretary, Railway Board.

....2/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं. 303/99

सं. ई(पी एंड ए)1-97/सीपीसी/एलई-6 नई दिल्ली, दिनांक: 8.12.99

महाप्रबंधक/मु.प्रशा.अधि.(रेलें)/विशेष कार्य.अधि.
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि.
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: छुट्टी नियमों से संबंधित नियमों एवं कार्यविधियों का सरलीकरण- भारतीय रेलवे स्थापना संहिता जिल्द-1, 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रण संस्करण 1995) का अध्याय 5.

संदर्भ : बोर्ड कार्यालय के दिनांक 10.11.97,3.4.98,8.4.99 एवं 1.10.99 के समसंख्यक पत्र.

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, जिल्द-1, 1985 संस्करण (पुनमुर्दण संस्करण-1995) के नियम 551 को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.....73..... के अनुसार संशोधित करने का निदेश देते हैं.

2. यह रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

3. कृपया पावती दें.

(के.जे.अब्राहम)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (वेतन एवं भत्ता),
रेलवे बोर्ड.

संलग्नक: शुद्धि पर्ची

No.E(P&A)I-97/CPC/LE-6 New Delhi, Dated : 8 .12.99.

Copy, with 40 spares, forwarded the the DAI (Railways), New Delhi.

Sreerams
for Financial Commissioner/Rlys.

Copy to :-

PPSs/PSs/PAs to CRB, FC, MS, ME, ML, MM, AM(S), AM(F), & Secretary,EDPC-I&II, EDE, ED(E&R), EDF(B), EDE(N), EDE(IR), EDPGDF(E),DPC,JDE(P&A), JDE(L), JDE(D&A), JDE(G), JDPC-I & II, JS(G), JS(E), DS(E), US(A), DDF(E)III, DE(LR).I, II & III.

E(P&A)II, PC-III, PC-IV & V, ERB-I,II,III,IV,V & D, E(O)I,II,III & E(O)III/CC, CASH-I,II & III, E(G) with five spares, E(GC), E(GP), Budget Br., F(E)I,II,III(with 4 spares) &Spl., A/Cs III (with 10 spares), Accounts Inspection Cell (with three spares), E(W), E(NG)I & II, E(D&A), E(Rep)I,II & III, Code Revision Cell, (with 3 spares) Branches of Railway Board.

****

सं•ई§पी एंड ए§1-97/सी•पी•सी•/एल ई-6 नई दिल्ली, दिनांक: 8 •12•99

प्रतिलिपि वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें आदि को अग्रेषित•

के जे अब्राहम

§के•जे•अब्राहम§

संयुक्त निदेशक, स्थापना §वेतन एवं भत्ता§,

रेलवे बोर्ड•

सं•ई§पी एंड ए§1-97/सीपीसी/एल ई-6 नई दिल्ली, दिनांक: 8•12•99

फेडरेशनों इत्यादि को प्रतिलिपि अग्रेषित §मानक डाक सूची सं•3 के अनुसार§

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड•

सं•ई§पी एंड ए§1-97/सी पी सी/एल ई-6 नई दिल्ली, दिनांक: 8•12•99

40 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रतिलिपि डी ए आई§रेलें§, नई दिल्ली को अग्रेषित•

एस० श्रीराम

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे बोर्ड•

प्रतिलिपि:

अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य बिजली, सदस्य यांत्रिक के प्रमुख निजी सचिव एवं अन्य•

ADVANCE CORRECTION SLIP TO THE INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE, VOLUME-I, 1985 EDITION (Reprint Edition - 1995)

Advance Correction Slip No. 73

The following amendment may be made to Rule 551 of the Indian Railway Establishment Code, Volume I, 1985 edition (Reprint Edition - 1995) :-

Rule 551 - Maternity Leave.

The figure '90 days' appearing in last line of Rule 551(1) may be substituted with figure '135 days'.

(Authority Board's letters No. E(P&A)I-97/CPC/LE-6 dated 10.11.97 & 3.4.98)

2. A new para as 551(A) may be inserted below the existing paras of the Rule 551.

Rule 551(A) - Paternity Leave.

A male railway servant (including an apprentice) with less than two surviving children may be granted Paternity Leave for a period of 15 days during the confinement of his wife i.e upto 15 days before or upto six months from the date of delivery of child and if such leave is not availed of within this period it shall be treated as lapsed. It shall not be debited against the leave account and may be combined with any other kind of leave (as in the case of Maternity Leave). It shall not be refused under any circumstances. Paternity Leave too, like Maternity Leave can be sanctioned only in a single spell. During the period of such leave he shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(Authority Board's letter No. E(P&A)I-97/CPC/LE-6 dated 10.11.97, 3.4.98, 8.4.99, 1.10.99)

****

भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, जिल्द-1, 1985 संस्करण {पुनर्मुद्रण संस्करण"1995}

के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची।

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 73

भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, जिल्द-1, 1985 संस्करण {पुनमुर्द्रण संस्करण-1995} के नियम 551 में निम्नलिखित संशोधन की जाए:-

नियम 551-प्रसूति छुट्टी

नियम 551{1} के तीसरी पंक्ति में "90 दिन" के स्थान पर "135 दिन" प्रतिस्थापित किया जाए।

{प्राधिकार: बोर्ड कार्यालय के दिनांक 10.11.97 एवं 3.4.98 के पत्र सं.ई {पीएंडए}1-97/सी पी सी/एल ई-6}

2. नियम 551 के मौजूदा पैराओं के नीचे एक नया पैरा 551{क} जोड़ा जाए।

नियम 551{क}- पैतृत्व(पैटरनिटी)छुट्टी।

एक पुरुष रेलवे सेवक {जिसमें शिक्षु भी शामिल है} को जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, उनकी पत्नी के प्रसव के दौरान 15 दिनों की अवधि के लिए, अर्थात बच्चे के जन्म की तारीख से छह माह के भीतर अथवा छह माह से पहले 15 दिनों तक, पैतृत्व छुट्टी प्रदान की जाए। यदि इस अवधि के भीतर उपर्युक्त छुट्टी न ली जाए तो यह व्यपगत{समाप्त} मानी जाएगी। यह छुट्टी के खाते में से नहीं घटाई जाएगी तथा यह अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है{जैसा कि प्रसूति छुट्टी के मामले में है}। किसी भी परिस्थिति में यह छुट्टी नामंजूर नहीं की जाएगी। प्रसूति छुट्टी की तरह, पैतृत्व छुट्टी भी इसकी पूर्णावधि के लिए ही मंजूर की जाएगी। इस छुट्टी की अवधि के दौरान कर्मचारी को छुट्टी पर जाने से तुरंत पहले प्राप्त किए गए वेतन के बराबर छुट्टी वेतन दिया जाएगा।

{प्राधिकार: बोर्ड के दिनांक 10.11.97, 3.4.98, 8.4.99 एवं 1.10.99 के पत्र सं. ई{पी एंड ए}-1-97/सी पी सी/एल ई-6}